amongst the participating institutions banks for the Ahmedabad Manufacturing and Calico Printing Company Ltd. under Gujarat Government guarantee. The unit had suffered cash losses of Rs. 272 98 lakhs in 1986-87, before interet and depreciation. It does not receive any Central Government subsidy.

(c) There is no such proposal at present.

रुग्ण एककों में बैंकों द्वारा धन लगाया जाना

3407. **श्री अश्विनी कुमार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच कि अनेक बड़े और मझौले उद्योगों को गत तीन वर्षों के दौरान रुग्ण एकक घोषित कर दिया गया है और उनमें उत्पादन बन्द हो गया है, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस प्रकार से बन्द पड़े रुग्ण एककों में बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं ने कितना धन लगाया है और इन उद्योगों की ओर कितनी धनराशि बकाया है; और

(ग) उन रुग्ण एककों के नाम क्या हैं जिनके बकाया ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया गया है तथा इस प्रकार के प्रत्येक उद्योग का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार रुग्ण एककों की संख्या और गत तीन वर्षों से उनके नाम बकाया ऋण राशि से संबंधित आंकड़े नीचे दिये गये हैं:—

(करोड़ रुपयों में)

	एककों की संख्या	बकाया ऋण राशि
दिसम्बर 1985 की स्थिति :		
बड़े रुग्ण एकक	637	2980.24
लघु उद्योग रुग्ण एकक . . .	117783	1070.67
दिसम्बर 1986 की स्थिति :		
बड़े रुग्ण एकक	714	3287.02
लघु उद्योग रुग्ण एकक	145776	1306.10
जून 1987 की स्थिति :		
गैर लघु उद्योग रुग्ण एकक	1057	2680.44
लघु उद्योग रुग्ण एकक	158226	1542.25

टिप्पणी : दिसम्बर 1985 और दिसम्बर 1986 को समाप्त अवधि के लिये बड़े एकक वे एकक माने गये हैं, जिन्हें संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली से अलग-अलग कुल एक करोड़ रुपये या अधिक रुपये की ऋण सीमा प्राप्त है । लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 1987 को समाप्त अवधि के लिये अपनी विवरणियों में रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 के प्रावधानों में की गई गैर लघु उद्योग रुग्ण एककों की परिभाषा को माना है ।

गत तीन वर्षों में रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के नाम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगि ऋण तथा निवेश निगम तथा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की बकाया ऋण राशियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	(करोड़ रुपयों में)
जून 1985	1015.02
जून 1986	1079.98
जून 1987	1361.40

(ग) बैंकों और संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले कानूनों और बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं एवं रीति रिवाजों के अनुसार बैंकों और संस्थाओं के अलग-अलग ग्राहकों अथवा उनके कार्यों से संबंधित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती ।

Attachment of property under the Income Tax Act

3408. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state;

(a) whether Government are considering extension of the scheme for attaching of property under the Income Tax Act to more cities.

(b) if so, whether Government are also considering to appoint appropriate authority in each city separately for the purpose;

(c) whether any such authority has been set up; and

(d) if so, what is the total number of cities which have been brought under this scheme and to what extent the attachment of properties have been made during the last three month?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF REVENUE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI A JIT PANJA): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) and (d) Till date six cities namely, Delhi, Bombay. Calcutta, Madras, Bangalore and Ahmedabad have been brought under the purview of the provisions of Chapter XXC of the Income Tax Act.

During the last threee months (i.e. in April, May and June) 71 pre-emptive purchase orders under section 269UD (1) have bee$_n$ passed.

Reorganisation of States

3409. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be plaeased to state;

(a) whether it is a fact that the Re-organisation of States in 1956 had left a number of boundaries of States unfixed;

(b if so, whether the boundary disputes amongst States since then have created great discontentment among the people of the affected States;

(c) whether it is a fact that a number of States have desired that there should be further reorganisation of States; and

(d) if so, what is Government response thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SANTOSH MOHAN DEV): (a) and (b) No, Sir. The reorganisation of States in 1956 was effected through Parliament Laws. Territorial boundary of each State is indicated in the First Schedule to the Constitution.

It is, however, a fact that territorial claims and counter-claims have been made by the States and occasionally these disputes have given rise to law and order problems also.